पटना, 22 जनवरी 2020 दैनिक जागरण 11

बिल्डर पर कसा रेरा का शिकंजा अपार्टमेंट जब्त, खाता फ्रीज

राज्य ब्यूरो, पटना : रीयल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा), बिहार ने फ्लैट खरीददारों के साथ मनमानी करने वाले एक बिल्डर पर कड़ी कार्रवाई की है। रेरा ने उत्कर्ष इंफ्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर शिकंजा कस दिया है। इसके तहत फुलवारीशरीफ के किरोरीचक में बिल्डर के निर्माणाधीन अपार्टमेंट केदार पैलेस को जब्त कर फ्लैट खरीददारों को सोसाइटी बनाने के लिए सौंप दिया है। यही नहीं, बिल्डर के खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। अपार्टमेंट में 48 फ्लैट हैं।

दो वर्ष पूर्व 2018 में आठ फ्लैट के खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ रेरा में शिकायत की थी। फ्लैट खरीदने वालों का आरोप था कि बिल्डर तय करार की अनदेखी कर रहा हैं। यही नहीं, फ्लैट बेचने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करा रहा हैं। रेरा ने बिल्डर को नोटिस भेज फ्लैट खरीदारों को सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। लेकिन रेरा के नोटिस पर भी बिल्डर हीलाहवाली करता रहा। रेरा में दो वर्षों की लंबी सुनवाई और चेतावनी के बाद भी बिल्डर ने शिकायत पर अमल नहीं किया। ऐसे में रेरा सदस्य आरबी सिन्हा और एसबी सिन्हा की अदालत ने उत्कर्ष इंफ्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खाते फ्रीज कर दिए और उक्त आदेश पारित किया। यही नहीं, कंपनी के निदेशक अर्पणा कुमार, निर्मल कुमार और नवीन कुमार को सख्त चेतावनी भी दी गई है।

- उत्कर्ष इंफ्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर हुई कार्रवाई